

हुक्म की तामील
में जारी हुए

पत्रावली प्रस्तुत वकील उभयपक्ष
उपस्थित पत्रावली का अवलोकन
किया। प्राची ने अपनी खारेदारी
भूमि ग्राम कसालपुरा के खसरा
नं० 352 में सड़क निर्माण नहीं
करने की शर्तिका चाही है।
अप्रवाहीगण ने भी जवाब दिया है
कि प्राची की खारेदारी भूमि
में वे सड़क का निर्माण नहीं
कर रहे हैं वही पक्ष इस बिंदु
पर सहमत है। अतः इस न्यायालय
द्वारा दि० 19-6-2008 को जारी
अन्तरिम अस्वाह निर्णयान्त
को तामिलनाडु वाद कन्फर्म किया
जाता है अर्थात् पक्षकारण अपना
अपना कदम करेगा पत्रावली
निर्णय शुमार होकर सूत्र बाद
पत्रावली के शामिल रहे।

७३
ने-318